न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस
वाद पत्र संख्या : 66/2021
निर्णय दिनांक : 10/01/2024

उनवान

1. गोपाल पुत्र श्री श्योराम, उम्र 68 वर्ष
2. रामनारायण पुत्र श्री श्योराम, उम्र 60 वर्ष
3. श्योजीराम पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल, उम्र 55 वर्ष
4. लालाराम पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल, उम्र 50 वर्ष
5. राजीव पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल, उम्र 35 वर्ष

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम खेडी गोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ग्राम खेडीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के निवासी है जिनका सजरा खानदान वाद पत्र के मद संख्या में दर्शित किया गया है। वादीगण की आराजी कृषि भूमि हाल खाता संख्या 149 के हाल खसरा नम्बर 155 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.33 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम खेडीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गैन्दा पुत्र महादेव हिस्सा 1/2 तथा श्योजी पुत्र महादेव हिस्सा 1/2 अंकित है जिसमें वादीगण स्व0 गैन्दा व श्योजी के विधिक वारिसान होने के कारण वादी संख्या एक का हिस्सा 1/3, वादी संख्या दो का हिस्सा 1/3, वादी संख्या तीन लगायत पांच का हिस्सा 1/3 है। वादीगण के पूर्वज गैन्दा, श्योजीराम पुत्रान महादेव उर्फ सुखदेव ने अपनी उक्त आराजी भूमि रहन घासीलाल, रामसहाय पिता लक्ष्मीनारायण, दामोदर, नारायण पिता बालबक्श, राधेश्याम, गंगासहाय, गणेशनारायण, देवीनारायण, रामकिशोर, मोहनलाल पिता श्योनारायण को किया था। उक्त रहन करने के बाद वादीगण के पूर्वज गैन्दा व श्योजी ने अपने जीवनकाल में रहन राशि अदा कर उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था परन्तु सहवन से जमाबन्दी में रहन का नोट नहीं हटा सका। जिस कारण वादीगण ने प्रतिवादी संख्या एक के यहां एक प्रार्थना पत्र बाबत रहन का नोट हटाकर प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने का प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी ने अपने आदेश दिनांक 14.09.2020 से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 के क्रम में रहन का नोट हटाया जाकर काश्तकार को खातेदार घोषित किये जाने के लिए एक तहरीर पटवारी हल्का को जारी कर दी जिस पर पटवारी हल्का ने रहन का नोट हटा दिया परन्तु वादीगण के नाम से विरासत का नामान्तरकरण नही खोला

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:13 IST
Reason: SelfAttested

गया। उक्त भूमि का कब्जा काश्ता पूर्व में वादीगण के पूर्वज गैन्दा व श्योजी के पास रहा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात श्योराम व भूरा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण के पास रहा है तथा आज भी वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि काश्त करते आ रहे है। वादीगण के पूर्वज श्योजीराम लाऔलाद फौत हो चुके थे तथा श्योजीराम के लाऔलाद फौत होने से उक्त आराजीयात में श्योजीराम के विधिक वारिस वादीगण के पिता व दादा श्योराम व भूरा थे, इस कारण वादीगण श्योजीराम के एकमात्र विधिक वारिस होने के कारण उक्त भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। दिनांक 25.01.2021 को वादी प्रतिवादी से मिले तथा अपने आदेश की पालना करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी ने कोई संतोषजनक जवाब नही दिया, इस कारण वादीगण को यह वाद पत्र वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ। वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी है कि वाद पत्र के पैरा नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात वादीगण को स्व0 गैन्दा व श्योजी के विधिक वारिसान होने के कारण वादी संख्या एक को 1/3 हिस्से, वादी संख्या दो को 1/3 हिस्से व वादी संख्या तीन लगायत पांच को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित किया जावें। वादकारण दिनांक 25.01.2021 को जब शुरू हुआ जब प्रतिवादी ने अपने आदेश की पालना करने के लिए संतोषजनक जवाब नही देने से शुरू होकर निरन्तर जारी है। अतः वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि हाल खाता संख्या 149 के हाल खसरा नम्बर 155 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.33 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम खेडीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में गैन्दा पुत्र महादेव हिस्सा 1/2 तथा श्योजी पुत्र महादेव हिस्सा 1/2 में वादीगण को स्व0 गैन्दा व श्योजी के विधिक वारिसान होने के कारण वादी संख्या एक को 1/3 हिस्से, वादी संख्या दो को 1/3 हिस्से व वादी संख्या तीन लगायत पांच को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित किया जावें।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज किया जाकर दिनांक 09.06.2021 को प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 15.03.2022 को जवाब दावा इस आशय का पेश किया कि बिन्दू संख्या एक वादी स्वयं सिद्ध करे। जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में खाता संख्या 143 के खातेदार श्योजी गेन्दा पि. महादेव कौम जाट राहिन घासीलाल, रामसहाय पि. लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/4, दामोदर नारायण पि. बालाबक्स हिस्सा 1/2, राधेश्याम गंगासहाय गणेशनारायण देवीनारायण रामकिशोर मोहनलाल पि. श्योनारायण हिस्सा 1/4 कौम महाजन सा.देह मूतहीन के [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में गेंदा पुत्र महा[illegible] हिस्सा 1/2 श्योजी पुत्र महादेव हिस्सा 1/2 जाति जाट [illegible] रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी में कार्यालय [illegible] क्रमांक भू.अ./स्टे/20/3030 दिनांक 21.10.2020 एवं माननीय उपखण्ड अधि[illegible] जयपुर द्वितीय जयपुर के मुकदमा नम्बर 162/2020 सूरजकरण बनाम भौरीलाल निर्णय दिनांक 14.10.2020 के स्थगन का नोट अंकित है। उक्त खाते पर पूर्व में व्यक्तिगत रहन था, जिसे कार्यालय तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांक 213 दिनांक 14.09.2020 एवं 21.09.2020 के क्रम में न्यायालय आदेश का नामान्तरकरण

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal S
Date: 2024.02.07 15:53:13 I
Reason: SelfAttested

संख्या 432 आदेश दिनांक 14.09.2020 एवं 21.09.2020 के अनुसार दर्ज किया गया है एवं दिनांक 13.10.2020 को स्वीकृत हुआ। उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि मौके पर खाली पड़ी है। श्योजी, गैन्दा पि. महादेव की विरासत का नामान्तरकरण की सुनवाई तहसील कार्यालय सांगानेर में 135(2) में विचाराधीन है। अतः वाद पत्र का बिन्दुवार जवाब सादर पेषित है। दिनांक 07.07.2022 को वादीगण ने वाद को सूरजकरण बनाम भौरीलाल प्रकरण के साथ कन्सोलिडेट करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर बहस सुनी जाकर दिनांक 11.10.2023 को प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। प्रकरण में कोई विरोधाभासी अभिवचन नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। प्रकरण को साक्ष्यवादी में नियत किया गया।

प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत करने के पश्चात् वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत 2074-2077 खाता संख्या 149 ग्राम खेड़ीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर प्रदर्श-1, प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-2, प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 05.09.2001 प्रदर्श-3, प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 14.09.2020 न्यायालय तहसीलदार सांगानेर प्रदर्श-4, मूल वारिसनामा कार्यालय ग्राम पंचायत दांतिया दिनांक 01.05.2011 प्रदर्श-5, प्रमाणित प्रति पर्चा लगान 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 ग्राम खेड़ीगोकुलपुरा, तहसील सांगोनर प्रदर्श-6, असल पर्चा नोटिस प्रदर्श-7, प्रमाणित प्रति पर्चा लगान 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 ग्राम खेड़ीगोकुलपुरा, तहसील सांगोनर प्रदर्श-8, असल पर्चा नोटिस प्रदर्श-9, असल लगान रसीद प्रदर्श-10, प्रमाणित प्रति खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2008-2023 ग्राम खेड़ीगोकुलपुरा, तहसील चाकसू प्रदर्श-11, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2025-2028 ग्राम खेड़ीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर प्रदर्श-12, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2059-2062 ग्राम खेड़ीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर प्रदर्श-13, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2055-2058 ग्राम खेड़ीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर प्रदर्श-14, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2029 ग्राम खेड़ीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर प्रदर्श-15, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2025-2028 ग्राम खेड़ीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर प्रदर्श-16 पेश किये है। मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 1 रामनारायण पुत्र श्योराम, पी.डब्ल्यू. 2 गोपाल पुत्र श्योराम के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये, जिसके बयान लेखबद्ध किये गये। प्रकरण में वादीगण की ओर से अन्य साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर साक्ष्यवादी बन्द करने का निवेदन किया। प्रकरण को बहस अन्तिम हेतु नियत किया गया।

वादीगण के अधिवक्ता ने बहस हेतु निवेदन किया, बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र में [illegible] वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 166 रकबा 0.27 हैo, खसरा नम्बर [illegible] 23 हैo, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.33 हैo, कुल [illegible] ग्राम खेड़ीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में [illegible] 1/2 तथा श्योजी पुत्र महादेव हिस्सा 1/2 में वादीगण को स्व0 गैन्दा व श्योजी के विधिक वारिसान होने के कारण वादी संख्या एक को 1/3 हिस्से, वादी संख्या दो को 1/3 हिस्से व वादी संख्या तीन लगायत पांच को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Sin
Date: 2024.02.07 15:53:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर तहसील (सांगानेर)

हमने बहस वादीगण अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि वादीगण द्वारा गैन्दा पुत्र महादेव व श्योजी पुत्र महादेव के विधिक वारिसान बताते हुए वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद पेश किया है इस सम्बन्ध में वादीगण की ओर दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत 2074–2077 खाता संख्या 149 ग्राम खेडीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 05.09.2001 प्रदर्श–3, मूल वारिसनामा कार्यालय ग्राम पंचायत दादिया दिनांक 01.05.2011 प्रदर्श–5 प्रस्तुत किये जिनसे स्पष्ट है कि महादेव के दो पुत्र गैन्दा और श्योजी हुये, जिसमें श्योजी प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार नाऔलाद फौत होना जाहिर हुआ है तथा वादीगण की ओर से प्रदर्श–3 नामान्तरकरण संख्या 85 भूरा पुत्र गैन्दा की विरासत पेश किया है जिसमें गैन्दा के तीन पुत्र श्योराम, भूरा व भुवाना होना अंकित है जिसमें से भुवाना को गोद जाना बताया है, भूरा को नाऔलाद फौत हो चुका है, श्योराम के तीन पुत्र भौरीलाल, गोपाल, रामनारायण अंकित है। वादीगण द्वारा भौरीलाल के फौत हो जाने पर उसके वारिसान में वादी संख्या तीन लगायत पांच होने का कथन अंकित किया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार गेन्दा पुत्र महादेव व श्योजी पुत्र महादेव के विधिक वारिसान वादीगण है, इस प्रकार सम्पूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय से डिक्री किया जाता है कि ग्राम खेडीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 155 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.33 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 में वादी संख्या एक को 1/3 भाग, वादी संख्या दो को 1/3 भाग, वादी संख्या तीन लगायत पांच को 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामल किया जावें। इसी अनुरूप डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/01/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:13 IST
Reason: SelfAttested

(म... ल ...)
...
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
ज...।